न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 63/2009 दायर दिनांक–06–07–2016

1. श्रीमती मंजू देवी पुत्री महाबीर
2. सुरेश पुत्र महाबीर नाबालिक जरिये संरक्षिका माता श्रीमती मंजू
3. अनिल पुत्र महाबीर नाबालिक जरिये संरक्षिका माता श्रीमती मंजू

– वादीगण

बनाम

1. पितराम पुत्र मुंगाराम जाति जाट निवासी बुगाला तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
2. शुभकरण पुत्र मुंगाराम जाति जाट निवासी बुगाला तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
3. जगदीश पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी बुगाला तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं।
4. खेमचन्द पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी बुगाला तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं।
5. मन्नी देवी पत्नी भागीरथ जाति जाट निवासी बुगाला तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं।
6. जोधाराम पुत्र रेखाराम जाति जाट निवासी बुगाला तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
7. तहसीलदार, तहसील नवलगढ़।
8. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा अजाड़ीकलां तहसील झुन्झुनू राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री हरलाल सिंह सैनी
वकील प्रतिवादीगण :– श्री दीपेन्द्र सिंह जाखड़

दावा बाबत घोषणार्थ व स्थाई व्यादेश

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 18–03–2021

प्रतिवादी संख्या 06 द्वारा काउण्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बुगाला की सरहद में वाद–पत्र की धारा 2 की उपधारा क व ख में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 657 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 668 रकबा 1.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 669 रकबा 1.47 हैक्टर, खसरा नम्बर 689 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 690 रकबा 0.05 हैक्टर व खसरा नम्बर 691 रकबा 2.08 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 687 रकबा 0.02 हैक्टर व खसरा नम्बर 688 रकबा 2.10 हैक्टर कुल किता 8 का कुल रकबा 7.22 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसका पहले प्रार्थी जवाब देहन्दा का पिता रेखाराम खातेदारी काश्तकार था और काबिज था। रेखाराम का देहान्त हो चुका है। उक्त रेखाराम के देहान्त के समय पर रेखाराम के तीन पुत्र प्रार्थी/प्रतिवादी जवाबदेहन्दा व प्रतिवादीगण नम्बर 01 लगायत 03 का बुजुर्ग मूंगाराम तथा प्रतिवादीगण नम्बर 04 व 5 का बुजुर्ग भागीरथ थे जो स्वर्गीय रेखाराम की उपरोक्त वर्णित खातेदारी काश्तकारी व कब्जे की भूमि मे से प्रत्येक क्रमशः 1/3, 1/3, 1/3 हिस्से के अनुसार खातेदारी काश्तकार बन गये। जिसकी बाबत आधार वर्ष 1985 की जमाबंदी की नकल इस जवाबदावे के साथ में पेश की जा रही है। इस प्रकार के अतिरिक्त उतर मय काउण्टर क्लेम की धारा 1 में दर्ज कुल भूमि मे से 1/3 हिस्से अर्थात भूमि खसरा नम्बर 2.10 हैक्टर मे से तीसरे हिस्से का खातेदार काश्तकार हो गया तथा काबिज हो गया। और अपने हिस्से की भूमि को काश्त करने लग गया।

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:19:24 IST
Reason: SelfAttested

ग्राम बुगाला मे राजस्व कैम्प लगने पर प्रार्थी जवाबदेहन्दा अन्य सह–काश्तकारो के साथ कैम्प में गया था, जहां पर अन्य सह काश्तकारान ने हल्का पटवारी से साजिश कर कैम्प में भारी भीड होने तथा जल्दबाजी बतारक इस भूमि का तीसरे–तीसरे हिस्सों के अनुसार बराबर–बराबर खाता विभाजन करवाने का बहाना बनाकर प्रार्थी/प्रतिवादी जवाबदेहन्दा के खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिये थे तथा खाली कागजों पर प्रार्थी के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी जवाबदेहन्दा को कहा था कि अब अपने बराबर–बराबर अलग–अलग खते बन जावेगे, प्रार्थी ने आपसी विश्वास के कारण खाली कागजों पर अपने हस्ताक्षर कर दिये थे। प्रार्थी जवाबदेहन्दा के पीछे से अन्य सह–खातेदारान ने पटवारी हल्का से मिलिभगत करके प्रार्थी जवाबदेहन्दा के हिस्से में 1/3 हिस्से से कम भूमि बंटवारे मे देकर गलत रिकॉर्ड बनाया है, जबकि पटवारी हल्का को बंटवारे में इस विवादित भूमि का 1/3 हिस्सा सम्पूर्ण का खातेदार प्रार्थी जवाबदेहन्दा को दर्जकर सही रिकार्ड बनाना चाहिये था, परन्तु अन्य सह–खातेदारों ने प्रार्थी जवाबदेहन्दा के हिस्से की जमीन को नाजायज रूप से हडपने के गलत इरादे से प्रार्थी जवाबदेहन्दा के हिस्से में आनेवाली कुल भूमि के कम हिस्से को रिकार्ड में प्रार्थी जववादेहन्दा के नाम दर्ज करवाया गया है। वास्तव में प्रार्थी/प्रतिवादी जववादेहन्दा, प्रतिवादी नम्बर 06 जोधाराम के हिस्से में रकबा 2.40 हैक्टर भूमि दर्ज की जानी चाहिए थी, परन्तु गलती से साजिश के तौरपर प्रार्थी/प्रतिवादी जवाबदेहन्दा के हिस्से का कुल रकबा 2.12 हैक्टर भूमि ही दर्ज की गई है इसलिये ही राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाया जाना अति–आवश्यक हुआ। इसलिये ही गलत राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने की बाबत काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ।

उपरोक्तानुसार गलत राजस्व रिकार्ड कायम रहने से प्रार्थी/प्रतिवादी नम्बर 06 जवाबदेहन्दा के खातेदारी अधिकार कु–प्रभावित होते है तथा प्रार्थी के अधिकारों पर कुठाराघात होता है और प्रार्थी/प्रतिवादी जववादेहन्दा कभी –भी अपने खातेदारी अधिकारों के वंचित हो सकता है तथा भविष्य मे और अधिक विवाद बढने की तथा अधिक मुकदमा बाजी बढने की सम्भावनायें बनी रहती है। इस गलत राजस्व रिकार्ड की बाबत प्रार्थी/प्रतिवादी जवाबदेहन्दा को पहले कोई भी जानकीर नही थी, परन्तु दिनांक 16–09–2009 का वादीगण के इस मोजूदा वाद में उपस्थित होने के रोज ही प्रार्थी/प्रतिवादी जवाबदेहन्दा को इस गलत राजस्व रिकार्ड की बाबत सर्व–प्रथम जानकारी मिली, इससे पहले प्रार्थी जवाबदेहन्दा को इस गलत राजस्व रिकार्ड की बाबत कोई जानकारी नही थी, इसलिये ही अब प्रार्थी/प्रतिवादी जवाबदेहन्दा अपने खातेदारी अधिकारों की रक्षार्थ हेतु उपरोक्त भूमि के राजस्व–रिकार्ड को दुरूस्त करवाने की बाबत यह प्रतिदावा/काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर रहा है। इसकेअतिरकत पूर्व मं किया गया विभाजन भी कानून के खिलाफ तथा प्रार्थी जवाबदेहन्दा के अधिकारों के खिलाफ शून्य, अप्रभावी व परीणाम–रहित है इसलिये पूर्व में किया गया तथाकथित बंटवारा भी कतई शून्य और अप्रभावी होने के कारण पुनः नियमानुसार बराबर–बराबर विधिवत विभाजन करवाना चाहता है जिसका प्रार्थी/प्रतिवादी जवाब देहन्दा को पूर्ण अधिकार है चूँकि उपरोक्त वर्णित भूमि अन्य खातेदारान के साथ प्रार्थी की पैतृक सम्पति है।

वादीगण के मौजूदा वाद में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 669 का रकबा वादीगण ने 0.07 हैक्टर कतई गलत दर्ज किया है, वास्तव में भूमि खसरा नम्बर 669 का रकबा 1.47 हैक्टर के और 1.47 हैक्टर को जोड़ने पर प्रतिवादीगण नम्बर 03 लगायत 6 के हम में 3.70 हैक्टेयर जमीन का योग भी अपने आप गलत हो जाता है,इस वजह से वादीगण का दावा प्राथमिक रूप से ही खारिज होने लायक है।

प्रतिदावा के लिये वादकारण दिनांक 16.092009 को प्रार्थी जवाबदेहन्दा को सर्व–प्रथम इस गलत राजस्व –रिकार्ड का पता चलने के रोज न्यायालय के अधिकार क्षैत्र में उत्पन्न हुआ तथा विभाजन के लिये वादकारण प्रत्येक क्षण पैदा होता है।

प्रतिवादी नम्बर 06 जवाबदेहन्दा ने प्रतिदावा पेश कर अनुतोष चाहा है कि वाद–वादीगण खारिज किया जाकर काउण्टर क्लेम की धारा 1 मे वर्णित भूमि के 1/3 हिस्से का खातेदार–काश्तकार प्रार्थी/जवाबदेहन्दा को घोषित किया जावे ओर 1/3 हिस्से की भूमि का अलग खाता कायम किया जाकर प्रार्थी को मौके पर अलग से भूमि सम्भलाई जावे और राजस्व रिकार्ड मे आवश्यक दुरूस्ती हेतु तहसीलदार नवलगढ को लिखा जाकर रिकॉर्ड दुरूस्त करवाया जावे।

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:19:24 IST
Reason: SelfAttested

वकील वादी ने जवाब प्रस्तुत नही करना जाहिर करने पर जवाब काउण्टर क्लेम बंद किया गया। जवाब नही पेश करने पर प्रकरण में निम्न प्रकार तनकीयात कायम की गई :–

1. **तनकी नम्बर 01** आया वाद–पत्र की धारा 2 में वर्णित आराजी का मौके पर मौखिक बंटवारा कर रखा जिसके अनुसार वादी खसरा नम्बर 763 में से दक्षिणी भाग 0.66 हैक्टर, खसरा नम्बर 1620/669 मे से 0.52 हैक्टर दक्षिणी भाग काश्त करता है।

–भा.स.वादीगण

2. **तनकी नम्बर 02** आया काउण्टर क्लेम की मद संख्या 1 में वर्णित आराजी अविभाजित सम्पति है, जिसका प्रतिवादी नम्बर 6 से खाली कागजों पर साजसी रूप से हस्ताक्षर करवा कर व पटवारी से मिली भगत से प्रतिवादी नम्बर 06 के नाम से कम भूमि का रिकॉर्ड दर्ज करवा दिया।

–भा.स.प्रतिवादी नं. 6

3. **तनकी नम्बर 03** आया पूर्व में किया गया विभाजन प्रतिवादी नम्बर 6 के खिलाफ शून्य व अप्रभावी है।

–भा.स.प्रतिवादी नं. 6

4. **तनकी नम्बर 4 आया** काउण्टर क्लेम की मद संख्या 1 में वर्णित आराजी में प्रतिवादी नम्बर 06 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी नम्बर 06 के हिस्से की भूमि का अलग खाता कायम किया जावे।

–भा.स.प्रतिवादी नं. 6

शहादत साक्ष्य वादी में बार–बार अवसर दिये जाने के फलस्वरूप शहादत वादी पेश नही करने पर शहादत वादी बंद की गयी। शहादत प्रतिवादी में प्रतिवादी श्री जोधाराम एवं रामकुमार के चीफ के शपथ पत्र पेश किये तथा अपने काउण्टर क्लेम के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श–1 डी 1 जमाबंदी सम्वत् 2043 आधार वर्ष 1985 आदि पेश कर दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये।

शहादत पक्षकारान ली जाकर बहस वकील प्रतिवादी गण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। वकील वादी ने न्यायिक दृष्टांत 2011 (1)डीएनजे (राज॰) पेज नम्बर 97 पेश किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व बहस पर मनन करते हुये निर्णय तनकीयात निम्नानुसार है:–

1. **तनकी नम्बर 01** आया वाद–पत्र की धारा 2 में वर्णित आराजी का मौके पर मौखिक बंटवारा कर रखा जिसके अनुसार वादी खसरा नम्बर 763 में से दक्षिणी भाग 0.66 हैक्टर, खसरा नम्बर 1620/669 मे से 0.52 हैक्टर दक्षिणी भाग काश्त करता है।

–भा.स.वादीगण

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण का वाद दिनांक 05.10.2016 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारीज हो चुका है फलस्वरूप उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

2. **तनकी नम्बर 02** आया काउण्टर क्लेम की मद संख्या 1 में वर्णित आराजी अविभाजित सम्पति है, जिसका प्रतिवादी नम्बर 06 से खाली कागजों पर साजसी रूप से हस्ताक्षर करवा कर व पटवारी से मिली भगत से प्रतिवादी नम्बर 06 के नाम से कम भूमि का रिकॉर्ड दर्ज करवा दिया।

–भा.स.प्रतिवादी नं. 6

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:19:24 IST
Reason: SelfAttested

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 06 पर है। प्रतिवादी नम्बर 06 ने खाली कागजों पर साजसी रूप से हस्ताक्षर करवाये जाकर एवं पटवारी हल्का से मिली भगत से स्वयं के नाम का भूमि का रिकार्ड दर्ज करवाने का उल्लेख किया है जबकि विभाजन आदेश पर प्रतिवादी के हस्ताक्षर है। साक्ष्यगण की पहचान है व उक्त विभाजन भूमिधारक (तहसीलदार) के सम्मुख प्रस्तुत हुआ है, तो यह नही कहा जा सकता की पटवारी हल्का ने साजसी रूप से हस्ताक्षर करवाकर प्रतिवादी नम्बर 01 के नाम भूमि का रिकार्ड कम दर्ज करवाया हो। अगर साजशी तौर पर हस्ताक्षर होते तो प्रतिवादी नम्बर 06 स्वयं विभाजन का वाद लाकर चुनौती देता अथवा दाण्डिक कार्यवाही अमल में लाता। प्रतिवादी नम्बर 06 ने वादी द्वारा वाद प्रस्तुत करने के उपरान्त काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी संख्या 06 ने काउण्टर क्लेम दिनांक 02–11–2004 का है। प्रतिवादी नम्बर 06 ने विभाजन को चुनौती क्यो नही दी उक्त तथ्य कहीं न कहीं विभाजन पर वादी की सहमति को प्रकट करता है। तथा विभाजन आदेश पर स्वयं के हस्ताक्षर करना यह नही कहा जा सकता ही प्रतिवादी नम्बर 06 से साजसी तौर पर हस्ताक्षर करवाये हो। पटवारी हल्का लोक सेवक है जिसमें अपने पदीय कर्तव्य मे कृत्य किया है। पटवारी की वादी अथवा प्रतिवादी से रिश्तेदारी अथवा जान पहचान नही है कि वह किसी भी पक्ष से मिलकर विभाजन साजिश के तौर पर कर दे। फलस्वरूप उक्त तनकी को साबित करने में प्रतिवादी संख्या 06 असफल रहे है तो उक्त तनकी को विरूद्ध प्रतिवादी नम्बर 06 के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

3. **नम्बर 03** आया पूर्व में किया गया विभाजन प्रतिवादी नम्बर 6 के खिलाफ शून्य व अप्रभावी है।

—भा.स.प्रतिवादी नं. 6

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी नम्बर 06 पर है। पूर्व मे किया गया विभाजन सहमति के आधार पर हुआ है जिसके आधार पर खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। इसलिये उक्त तनकी प्रतिवादी नम्बर 06 के विरूद्ध तैय की जाती है।

4. **तनकी नम्बर 4 आया** काउण्टर क्लेम की मद संख्या 1 में वर्णित आराजी में प्रतिवादी नम्बर 06 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी नम्बर 06 के हिस्से की भूमि का अलग खाता कायम किया जावे।

—भा.स.प्रतिवादी नं. 6

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी नम्बर 06 पर था। चूँकि विभाजन सहमति के आधार पर हुआ है जिसको प्रतिवादी नम्बर 06 के समक्ष न्यायालय में अपील के माध्यम से अन्दर मियाद चुनौती नही दी अगर विभाजन साजशी होता तो प्रतिवादी नम्बर 06 द्वारा अन्दर मियाद अवश्य ही चुनौती देता। प्रतिवादी नम्बर 06 ने वादी द्वारा वाद प्रस्तुत करने के उपरान्त काउण्टर क्लेम किया है तथा लगभग 7 वर्ष के पश्चात् पूर्व में किये गये विभाजन कोचुनौती देकर खातेदारी अधिकारों की मांग की है। वादी एवं प्रतिवादी के मध्य सहमति के आधार पर विभाजन हो चुका है। पृथक–पृथक खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। विभाजन का तकमीना इस तथ्य को प्रमाणित करता है। सहमति के आधार पर विभाजन हो चुका है प्रतिवादी नम्बर 06 किसी प्रकार की घोषणा अथवा पृथक से खाता कायम करवाने का अधिकारी नही है। उक्त तनकी प्रतिवादी नम्बर 06 के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी संख्या 06 का काउण्टर क्लेम खारीज किया जाता है। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 2[illegible].03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहाकय कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,
(फास्ट–ट्रेक) लक्ष्मणगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:19:24 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ़
दमयंती कंवर (आर0ए0एस0) ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रेक) नवलगढ.

दावा बाबत रिकार्ड दुरूस्ती, विभाजन घोषणार्थ

मुकदमा सं0:– 63 / 2009 (मंजू देवी आदि – बनाम – पितराम वगैरह)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू दमयंती कंवर (आर॰ ए॰ एस॰),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 25.03.2021 निर्णय अनुसार प्रतिवादी संख्या 06 का काउण्टर क्लेम खारीज किया जाता है। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

जिन.....–..... मुबलिग.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–.....फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.....का अदा करे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 29 माह 03 सन 2021 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	04.00	स्टाम्प वकालतनामा	4.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बावत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	10.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	18.00		4.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:19:24 IST
Reason: SelfAttested